समाहरणालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

(जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा)

उपावंटन आदेश।

वित्तीय वर्ष–2014–15 में व्यय हेतु गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष–2245 प्राकृतिक विपत्र के कारण राहत, उप मुख्य शीर्ष–02 बाढ़ चक्रवात आदि के लिए लघु शीर्ष–101 अनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष–0001 निःसहाय एवं विकलॉगों को नगद अनुदान मॉग सं0–39 विषय शीर्ष–31 08 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा, विपत्र कोड–N2245021010001 में अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग बिहार, पटना के पत्रांक–08 दिनांक–20.05.14 के द्वारा प्राप्त आवंटन मो0 80.00 (अस्सी लाख) रूपये में से कुल–12,85,000.00 (बारह लाख पचासी हजार) रू0 निम्नानुसार अचल अधिकारियों को उपावंटित किया जाता है।

यह उपावंटन अंचलाधिकारी अरेराज के पत्रांक–502 दिनांक–11.12.13 अंचल अधिकारी संग्रामपुर के पत्रांक–463 दिनांक–16.12.13 एवं अंचल अधिकारी केसरिया के पत्रांक–23 दिनांक–21.01.14 के अधियाचना के अनुसार की जा रही है।

उपावंटित राशि का व्यय उसी मद में किया जाय, जिस मद के लिए राशि उपावंटित की गयी है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नही किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे। आवंटित की गयी राशि की निकासी यथा संभव Fully Vouched Bill के माध्यम से ही की जाय। आपदा प्रबंधन विभाग बिहार, पटना के उक्त पत्र के कण्डिका 6 मे निहित वाक्यांश के आलोक में अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 विपत्र महालेखाकार, कार्यालय बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानो के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए व्यय प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला आपदा प्रशाखा में भेजना सुनिश्चित करें साथ ही व्यय नही होने की स्थिति में 30 नवम्बर 2014 तक प्रत्यार्पण प्रतिवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे निर्धारित तिथि तक प्रत्यार्पण प्रतिवेदन अप्राप्त रहने की स्थिति मे उपावंटित राशि का व्यय मानते हुए सरकार को प्रतिवेदित कर दिया जायेगा। व्ययगत की स्थिति में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे।

आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शिर्ष/उप मुख्य शिर्ष/लघु शीर्ष/उप शिर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। आकड़े के त्रुटि पुर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

यह उपावंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक–2561 बि0(02) दिनांक–17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

क्र0	अंचल अधिकारी का नाम	पूर्व का आवंटन	वर्त्तमान का आवंटन	कुल आवंटन
01	02	03	04	05
1	अंचल अधिकारी अरेराज	शून्य	2,28,000.00	2,28,000.00
	अंचल अधिकारी संग्रामपुर	शून्य	3,43,500.00	3,43,500.00
	अंचल अधिकारी केसरिया	शून्य	7,13,500.00	7,13,500.00
	कुल:–		12,85,000.00 (बारह लाख पचासी हजार)रू0	

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक 32 दिनांक 16.06.2014

प्रतिलिपि:–अंचल अधिकारी, अरेराज/संग्रामपुर/एवं केसरिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:–अनुमण्डल पदाधिकारी/अरेराज एवं चकिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:–कोषागार पदाधिकारी, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:–जिला प्रबंधक, आई0टी0 मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:–अपर सचिव, आपदा प्रबधक विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ ।

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।